



भारत का राजपत्र The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-16032026-270974
CG-DL-E-16032026-270974

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 53]
No. 53]

नई दिल्ली, सोमवार, मार्च 16, 2026/फाल्गुन 25, 1947
NEW DELHI, MONDAY, MARCH 16, 2026/PHALGUNA 25, 1947

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय
(वाणिज्य विभाग)
(व्यापार उपचार महानिदेशालय)
शुद्धिपत्र अधिसूचना
नई दिल्ली, 16 मार्च, 2026
केस नंबर सीवीडी (ओआई) - 1/2024

विषय: ऑटोमोटिव अनुप्रयोगों के लिए प्रभाव पिगमेंट को छोड़कर, प्रभाव पियरलेसेंट पिगमेंट या अश्वक पिगमेंट के आयात से संबंधित काउंटरवेलिंग ड्यूटी जांच में अंतिम निष्कर्ष।

फा. सं. 6/8/2024-डीजीटीआर.—समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 और समय-समय पर यथा संशोधित सीमा शुल्क टैरिफ (प्रतिकारी शुल्क और चोट की पहचान, निर्धारण और मूल्यांकन) नियम, 1995 को ध्यान में रखते हुए, महानिदेशक ने उपरोक्त प्रतिकारी शुल्क जांच के संबंध में अंतिम निष्कर्ष अधिसूचना एफ. संख्या 6/8/2024 - डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च 2025 जारी की है।

पहले जारी शुद्धिपत्र अधिसूचना दिनांक 16.06.2025 में टंकण संबंधी त्रुटि हुई थी। इस प्रकार, पिछली सभी अधिसूचनाओं के अधिक्रमण में, जहां तक शुल्क तालिका के नोट संख्या घ का संबंध है, शुल्क तालिका के नोट संख्या घ को नीचे दिए गए अनुसार प्रतिस्थापित किया गया है।

(घ) ऑटोमोटिव अनुप्रयोग के अलावा सिंथेटिक ग्रेड के पर्लेसेंट पिगमेंट या अश्वक पिगमेंट के प्रभाव के मामले में, चूंकि कोई एंटी-डंपिंग शुल्क देय नहीं है, काउंटरवेलिंग ड्यूटी की मात्रा कॉलम (7) के अनुसार देय राशि के बराबर होगी।

अमिताभ कुमार, निर्दिष्ट प्राधिकारी

MINISTRY OF COMMERCE AND INDUSTRY

(Department of Commerce)

(DIRECTORATE GENERAL OF TRADE REMEDIES)

CORRIGENDUM NOTIFICATION

New Delhi, the 16th March, 2026

Case No. CVD (OI) - 1/2024

Subject: Final finding in the countervailing duty investigation concerning imports of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments, excluding effect pigments for automotive applications.

F. No. 6/8/2024-DGTR.— Having regard to the Customs Tariff Act, 1975, as amended from time to time, and the Customs Tariff (Identification, Determination and Assessment of Countervailing Duties and Injury) Rules, 1995, as amended time to time, thereof, the Director General has issued the Final Finding Notification F. No. 6/8/2024 - DGTR dated March 28, 2025, in respect of the above countervailing duty investigation.

A typographical error had occurred in the previously issued Corrigendum Notification dated 16.06.2025. Thus, in supersession of all previous notifications, insofar as **note no. d** to the duty table is concerned, the **note no. d** of the duty table is substituted as below.

*d. In case of effect pearlescent pigments or mica pearlescent pigments of synthetic grade **other than for automotive application**, since no anti-dumping duty is payable, the quantum of countervailing duty shall be equivalent to the amount payable as per column (7).*

AMITABH KUMAR, Designated Authority